न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 43/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुखप्रीतसिंह आत्मज स्व. श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान,
2. श्रीमती छिन्द्रपालकौर धर्मपत्नी स्व. श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान,
3. श्रीमती हरप्रीतकौर आत्मज स्व. श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान,
4. बलदेवसिंह एवं
5. नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह आत्मज श्री सुच्चासिंह, चक 11 एच एच. ढींगांवाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदकगण

बनाम

1. छिन्दासिंह छिन्द्रपालसिंह आत्मज श्री तारासिंह, जटसिख, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान हाल आबाद झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)
2. दर्शनसिंह आत्मज श्री तारासिंह, जटसिख, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान हाल आबाद झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)
3. गुरासिंह आत्मज श्री तारासिंह, जटसिख, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री दलबारसिंह बराड़ (आवेदकगण)
श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत (अनावेदकगण)

दिनांक 25 अप्रेल, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 12 एच एच. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 24 एवं 26 की 2.0240 हैक्टर श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के नाम पर, चक 11 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 व 15 की 7.754 हैक्टर श्री तारासिंह के नाम पर, चक 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 25,26 एवं 36 में श्री दर्शनसिंह आत्मज श्री तारासिंह 100 हिस्सा, श्री तारासिंह आत्मज श्री सुच्चासिंह 39 हिस्सा एवं श्रीमती बसन्तकौर धर्मपत्नी श्री तारासिंह के नाम पर 35 हिस्सा, चक 5 एस.के.एम. ए. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 की 6.325 हैक्टर श्री मलसिंह एवं श्री बलदेवसिंह के नाम पर, चक 3 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 5 की 3.162 हैक्टर, श्री सुखदेवसिंह

उर्फ गुरासिंह, श्री गुरासिंह, श्री नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह एवं 3. 163 हैक्टर श्री छिन्द्रपालसिंह, श्री नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह एवं गांव झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब) के खेवट संख्या 24/20 खतौनी संख्या 82 में 18.00 किला श्री दर्शनसिंह, श्री छिन्द्रसिंह उर्फ छिन्द्रपालसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. समस्त कृषि भूमि का आवेदकगण के पिता श्री तारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में विभाजन कर इकरारनामा बाहमी बंटवारा जमीन दिनांक 25 मार्च, 2008 आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 से 4 एवं स्वर्गीय श्री तारासिंह एवं स्वर्गीय श्रीमती बसन्तकौर की सहमति से अंकित किया गया. आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 से 4 के वंश की कुल कृषि भूमि पंजाब में होने के कारण पंजाब स्थित कृषि भूमि को शामिल करते हुऐ बंटवारानामा दिनांक 25 मार्च, 2008 के अनुसार आवेदकगण के हिस्सा में – चक 5 एस.के.एम ए तहसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 वर्तमान खाता संख्या 33/36 पत्थर नम्बर 147/20 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 2 से 8, किला नम्बर 14 स 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 13.00 बीघा मय रास्ता, चक 3 बी.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/27 वर्तमान खाता संख्या 45/23 मुरब्बा नम्बर 5 के 3. 162 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर एवं चक 11 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27 वर्तमान खाता संख्या 19/18 मुरब्बा नम्बर 3 के 1.429 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 15 के 6.325 हैक्टर अर्थात 25.00 बीघा कुल 7.754 हैक्टर दी गयी. उल्लेखित विभाजन में गांव झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब) स्थित कुल 18.00 किला श्री छिन्दासिंह उर्फ श्री छिन्द्रपालसिंह एवं श्री दर्शनसिंह के हिस्सा में दी गयी. क्योंकि उक्त उक्त कृषि भूमि श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के नाम से थी, जिनके द्वारा विभाजन की पालना में रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली गयी अर्थात अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा ली गयी. श्री तारासिंह की मृत्योपरान्त उनके वारिसान आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 से 4 हैं. श्री तारासिंह की मृत्योपरान्त अनावेदकगण, राजस्थान स्थित वर्णित कृषि भूमि में उनका नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने एवं अनावेदक संख्या 4 श्री तारासिंह की वारिस होने, जिसके द्वारा विभाजन में कोई कृषि भूमि प्राप्त नहीं की गयी, किन्तु अन्य के प्रभाव में होने के कारण श्री तारासिंह के नाम पर दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरकरण करवा कर आवेदकगण को बेदखल कर अन्यत्र को अन्तरित करने में प्रयासरत है. पारिवारिक समझौता/पारिवारिक विभाजन में आवेदकगण प्राप्त कृषि भूमि के हकदार हैं चूंकि अनावेदकगण लालचवश वर्णित कृषि भूमि से आवेदकगण को बेदखल कर अन्यत्र अन्तरित करने में प्रयासरत हैं इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण को बार बार पारिवारिक समझौता अर्थात विभाजन दिनांक 25 मार्च, 2008 के आधार पर आवेदकगण को खातेदार काश्तकार एवं हकदार मानकर विभाजन करवाकर किलावाईज उनके नाम पर दर्ज करवाने एवं आवेदकगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने एवं अन्यत्र बंधक, विक्रय एवं किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने हेतु कहने पर अनावेदकगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 अप्रेल, 2017 को साफ इन्कारी हो गये. यही वादहेतुक

आवेदकगण को उपलब्ध है. अनावेदकगण पारिवारिक समझौता एवं पारिवारिक विभाजन की पालना के लिये विधि के अनुसार पाबन्द एवं उत्तरदायी हैं. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा उनके कब्जा काश्त की चक 5 एस.के.एम ए तहसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 वर्तमान खाता संख्या 33/36 पत्थर नम्बर 147/20 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 2 से 8, किला नम्बर 14 स 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 13.00 बीघा मय रास्ता, चक 3 बी.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/27 वर्तमान खाता संख्या 45/23 मुरब्बा नम्बर 5 के 3.162 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर एवं चक 11 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27 वर्तमान खाता संख्या 19/18 मुरब्बा नम्बर 3 के 1.429 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 15 के 6.325 हैक्टर अर्थात 25.00 बीघा कुल 7.754 हैक्टर कृषि भूमि पर आवेदकगण के कब्जा काश्त, पानी की बारी, उपयोग एवं उपभोग में स्वयं अथवा किसी भी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप कर आवेदकगण को बेदखल करने, विक्रय, बंधक एवं अन्य किसी भी तरीका से अन्यत्र अन्तरित नहीं करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 12 एच.एच. की खाता संख्या 21/20 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 12 एच.एच. की खाता संख्या 37/35 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 11 एच. एच. की खाता संख्या 18/19 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 3 बी.बी. तहसील पदमपुर के खाता संख्या 45/23 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075, चक 5 एस.के.एम.ए तहसील घड़साना के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, गांव झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब) के खाता संख्या 24/20 की जमाबन्दी सम्बत् 2006–2007, इकरारनामा बाबत वाहमी बंटवारा जमीन ।। दिनांक 25 मार्च, 2008, चक 3 बी बी तहसील पदमपुर के खाता संख्या 46/102 की राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075, चक 3 बी बी तहसील पदमपुर के खाता संख्या 45/23 की राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075, चक 12 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 37/35 की राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 11 एच.एच. तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 18/19 की राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 12 एच.एच. की खाता संख्या 21/20 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 5 एस.के.एम.ए तहसील घड़साना के खाता संख्या 36/33 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

अनावेदकगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के सफल होने की कतई कोई सम्भावना नहीं है. अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के तथ्यों को जवाब आवेदनपत्र के साथ पढे जाने का निवेदन किया गया. चक 12 एच.एच., चक 11 एच.एच., चक 5 एस.के.एम. ए व चक 3 बी बडी की

कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों में उनके स्वामित्व सम्बन्धी नाम अंकित किये गये हैं. गांव झबेलवाला पंजाब की भूमि अनावेदकगण के नाम से है किन्तु यह भूमि वाद की विषयवस्तु नहीं हो सकती व न ही इस भूमि की बाबत किसी भी प्रकार का कोई आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्ग इस माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य पारित ही किया जा सकता है. प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत आवेदकगण द्वारा अभिकथित इकरारनामा वाहमी बंटवारा दिनांक 25 मार्च, 2008 प्रथमताः अकृत एवं प्रभाव शून्य अभिलेख है क्योंकि कृषि भूमि की बाबत बंटवारानामा लैण्ड होल्डर की स्वीकृति एक आवश्यक अर्हता है द्वितीय कथित बंटवारानामा कभी भी एक्ट अपोन नहीं हुआ, तृतीय कथित बंटवारानामा में स्व. श्रीमती बसन्तकौर एवं श्री तारासिंह के स्वामित्व की खातेदारी की कृषि भूमि की बाबत कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि इस कथित बंटवारानामा के पठन से बंटवारानामा के साथ साथ श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसंतकौर के इच्छापत्र को भी उद्घोषित किया गया है जो विधि अनुरूप नहीं है. एवं न ही इच्छापत्र के सन्दर्भ में किसी प्रकार की विवेचना अथवा न्याय निर्णयन की अधिकारिता राजस्व न्यायालय में निहित करती है. चक 12 एच.एच., चक 11 एच एच एवं चक 3 बी.बी. में स्वर्गीय श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसंतकौर के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि उनकी मृत्योपरान्त आवेदकगण के साथ अनावेदकगण पर न्यायगत होने के कारण विभाजन एक आवश्यकता है. दिनांक 25 मार्च, 2008 का कथित बंटवारानामा न तो एक विधिक अभिलेख है व न ही इस पर कभी एक्ट अपोन हुआ. चक 3 बी.बी. तहसील पदमपुर के मुरब्बा नम्बर 5 में अनावेदक संख्या 1 से 3 का ½ हिस्सा एवं आवेदक संख्या 5 का 1/5 हिस्सा है और दोनों ही अपने अपने हिस्सा पर काबिज काश्त हैं. पानी की पर्ची इन्हीं के नाम से पृथक पृथक है तथा सिंचाई विभाग का मामला इन्हीं के द्वारा पृथक पृथक दिया जाता है.चक 3 बी.बी. एवं चक 11 एच एच. एवं चक 12 एच.एस. में अनावेदकगण अभिलेखीय खातेदार हैं तथा अभिलेखीय खातेदार के विरूद्व कोई अन्तरिम व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता. गांव झबेलवाला पंजाब स्थित कृषि भूमि जो कि स्व. श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के स्वामित्व की स्वःर्जित कृषि भूमि थी. जिसका निस्तारण उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया गया था. यह भूमि आवेदनपत्र की विषयवस्तु नहीं हो सकती और न ही विभाजन के बाद वाद में इसे राजस्थान में स्थित कृषि भूमि के साथ समायोजित करके कोई न्याय निर्णयन नहीं किया जा सकता. यह कृषि भूमि अनावेदकगण की खातेदारी भूमि है जिसका तहसील श्रीगंगानगर, पदमपुर एवं घड़साना स्थित कृषि भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है. अनावेदकगण स्व. श्री तारासिंह एवं स्व. श्रीमती बसंतकौर के विधिक उतराधिकारी हैं इसलिये चक 11 एच एच., चक 12 एच.एच. में उनके नाम दर्ज कृषि भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने के विधिक उत्तराधिकारी है किन्तु कथित पारिवारिक समझौता के आधार पर कोई घोषणात्मक डिकी अथवा विभाग की डिकी पारित नहीं की जा सकती. आवेदकगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं होता व न ही आवेदकगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई अन्तरित आदेश प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं. आवेदकगण अन्तरित व्यादेश की आड़ में अनावेदकगण को

उनके स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि से बंदखल कर अपना कब्जा स्थापित करने का उदेश्य रखते हैं जबकि अभिलेखीय खातेदार के विरूद्व कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता. यदि विचाराधीन प्रकरण में अन्तरित व्यादेश जारी किया जाता है तो अनावेदकगण को अपरिमेय क्षति होती क्योंकि इस आदेश की आड़ में आवेदकगण जबरन अनावेदकगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने के साथ साथ अनावेदकगण की खातेदारी कृषि भूमि में काबिज होने का प्रयास करेंगे जिससे वाद बाहुल्यता उत्पन्न होने के साथ साथ शान्ति भंग होने का भी खतरा उत्पन्न हो जायेगा. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 11 एच एच. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2014, चक 11 एच एच. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2014–15, चक 11 एच एच. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2015, चक 11 एच एच. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2015–16 चक 11 एच एच. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2016, चक 11 एच एच. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2016–17, चक 3 बी.बी. II के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2016–17, चक 3 बी.बी. के सिंचाई विभाग द्वारा जारी शुद्वकार खसरा सिंचाई खरीफ 2017 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

इकरारनामा बाबत वाहमी बंटवारा जमीन II दिनांक 25 मार्च, 2008 की वैद्यता एवं प्रभाव की बाबत मूल वाद में ही विवाद्यकों के निर्धारणोपरान्त साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद ही विनिश्चिय किया जा सकता है किन्तु वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के पक्ष में सिद्व है.

अतः आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 5 एस.के.एम ए तहसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 वर्तमान खाता संख्या 33/36 पत्थर नम्बर 147/20 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 2 से 8, किला नम्बर 14 स 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 13.00 बीघा मय रास्ता, चक 3 बी.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/27 वर्तमान खाता संख्या 45/23 मुरब्बा नम्बर 5 के 3.162 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर एवं चक 11 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27 वर्तमान खाता संख्या 19/18 मुरब्बा नम्बर 3 के 1.429 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 15 के 6.325 हैक्टर अर्थात

25.00 बीघा कुल 7.754 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों की वर्तमान स्थिति को यथावत कायम रखें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 15 अक्टू. 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.